संख्या-459/2025/2489/22-2-2023-17(882)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामेश्वर पुत्र श्री बन्टे लाल, निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-16636/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023) दिनांक 19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामेश्वर पुत्र श्री बन्टे लाल, ग्राम विरिया नरायनपुर, थाना-सुभाष नगर, जनपद-बरेली का निवासी है। दोनो पक्षों के मध्य ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर चल रही रजिश के कारण बंदी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनाक 08.03.1997 को तमन्चे से गोली मारकर एवं फरसे से वार कर परमेश्वरी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-571/98, में भा0द0वि0 की धारा-302/34, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10, बरेली के आदेश दिनांक 12.08.1999 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.01.2013 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 10.03.2023 तक 14 वर्ष, 06 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 07 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज का व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुन अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक अर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि चुनाव को लेकर चल रही रंजिश के कारण बंदी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 08.03.1997 को तमन्चे से गोली मारकर एवं फरसे से वार कर परमेश्वरी नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामेश्वर पुत्र श्री बन्टे लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामेश्वर (बंदी संख्या-101/2013) पुत्र श्री बन्टे लाल, निवासी जनपद-बरेली के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-459/2025/2489(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-459/2025/2489/22-2-2023-17(882)/2023

दिनांक 09 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामेश्वर पुत्र श्री बन्टे लाल, ग्राम विरिया नरायनपुर, थाना-सुभाष नगर, जनपद-बरेली का निवासी है। दोनो पक्षों के मध्य ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर चल रही रजिश के कारण बंदी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनाक 08.03.1997 को तमन्चे से गोली मारकर एवं फरसे से वार कर परमेश्वरी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-571/98, में भा0द0वि0 की धारा-302/34, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10, बरेली के आदेश दिनांक 12.08.1999 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.01.2013 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 10.03.2023 तक 14 वर्ष, 06 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 07 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज का व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुन अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक अर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि चुनाव को लेकर चल रही रंजिश के कारण बंदी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 08.03.1997 को तमन्चे से गोली मारकर एवं फरसे से वार कर परमेश्वरी नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामेश्वर पुत्र श्री बन्टे लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।